न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 74/16 **निर्णय दिनांकः–30.01.2019**

1. गोपीराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. कमलादेवी पत्नी श्री बुताराम जाति बंजारा निवासी चक 2 एसएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़
दिनांक 03–03–2015 एवं दिनांक 31–03–2015

उपस्थितिः–

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03–03–2015 व आदेश दिनांक 31–03–2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को ग्राम ढाबा तहसील अनुपगढ़ के खसरा नम्बर 99/2 रकबा 32 बीघा दिनांक 02—07—1989 को कीमतन पुख्ता आवंटन किया गया था। जिसकी तमाम किश्तें भी अपीलांट द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। उक्त खसरा नम्बर 99/2 रकबा 32 बीघा चक प्लान में आने पर चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 66/36 एवं मुरब्बा नम्बर 66/37 में पैमूद हुआ। जिसके मुरब्बा नम्बर 66/36 के किला नम्बर 6 ता 25 में 20 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 66/37 के किला नम्बर 1 ता 4 में 4 बीघा, किला नम्बर 5 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 7 ता 10 में 4 बीघा एवं किला नम्बर 11, 12, 13 में 3 बीघा एवं किला नम्बर 14 में 5, किला नम्बर 18 में 10 बिस्वा एवं किला नम्बर 19 ता 22 में 4 बीघा इस प्रकार कुल 12 बीघा 10 बिस्वा पैमूद हुआ। उक्त भूमि आवंटन दिनांक के पश्चात् से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 6637 का केवल 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा बीकानेर जिलें में स्थित होने के कारण 12 बीघा 10 बिस्वा रकबे की हद तक ही यहॉ के अधिकारियों को आवंटन का अधिकार था शेष रकबा अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा श्रीगंगानगर जिलें में स्थित होने से उक्त रकबें के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार बीकानेर जिलें के अधिकारियों को प्राप्त नहीं था। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। नाही प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। यदि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता अथवा वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की जाती, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष स्वमेव यह स्थिति सामने आ जाती

की वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित व अपीलांट के धारण की भूमि है। अदालत मातहत द्वारा इन तमात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्म फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 25—05—2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 क विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 66/37 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—03—2015 व दिनांक 31—03—2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20—07—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 66/37 में रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विशेष आवंटन अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम ढाबा तहसील अनुपगढ़ के खसरा नम्बर 99/2 रकबा 32 बीघा दिनांक 02—07—1989 को कीमतन पुख्ता आवंटन की गई थी तथा अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन के पेटे तमाम किश्तें भी अपीलांट द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई थी।

उक्त भूमि चक प्लान में आने पर चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 66/36 एवं मुरब्बा नम्बर 66/37 में पैमूद हुआ। जिसके मुरब्बा नम्बर 66/36 के किला नम्बर 6 ता 25 में 20 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 66/37 के किला नम्बर 1 ता 4 में 4 बीघा, किला नम्बर 5 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 7 ता 10 में 4 बीघा एवं किला नम्बर 11, 12, 13 में 3 बीघा एवं किला नम्बर 14 में 5, किला नम्बर 18 में 10 बिस्वा एवं किला नम्बर 19 ता 22 में 4 बीघा इस प्रकार कुल 12 बीघा 10 बिस्वा पैमूद हुआ। वादगत् भूमि आवंटन दिनांक के पश्चात् से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है व आज दिनांक को भी वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश परिलक्षित होता है।

(5) प्रकरण में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या वादगत् भूमि के आवंटन का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त था अथवा नहीं? इस संबंध में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि चक 2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 6637 का केवल 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा बीकानेर जिलें में स्थित होने के कारण 12 बीघा 10 बिस्वा रकबे की हद तक ही यहॉ के अधिकारियों को आवंटन का अधिकार था तथा शेष रकबा अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा श्रीगंगानगर जिलें में स्थित होने से उक्त रकबें के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार बीकानेर जिलें के अधिकारियों को प्राप्त नहीं था।

प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ही वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की जाती ऐसी स्थिति में तत्समय ही अदालत मातहत के समक्ष स्वमेव यह स्थिति सामने आ जाती की वादगत् भूमि के आवंटन का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त है अथवा नहीं?

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इन तमाम बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्रतीत होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए,

संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व न्यायपरक प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशित रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—03—2015 व दिनांक 31—03—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में ऊपर वर्णित तथ्यों की जॉच करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारि करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर